


कार्यवाही विवरण

आदेश	
<p>19/12/22</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक अनुपस्थित। मूल वाद मध्य हाजिरी एवं ऊपरी पेशी में खाजि हो चुका है। वाद का निश्चय होने से उक्त को पलामे में कोई कोषिका नहीं है। अतः प्रत्यक्ष न्यायाधीश इसी स्तर पर खाजि किया जाता है। पत्रावली के साथ सुमाट होकर दस्तावेज खिंचा हो तथा वाद तहसील अफवा कोषिस पत्र हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (सो. ई. एम. (फ. ई.) न्यायाधीश </p>

